उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-49/2019/259/92-2-19-03जांच/2015

लखनऊ:: दिनांक:: 27 फरवरी,2019

कार्यालय-ज्ञाप

भारत सरकार के डेस्टीनेशन डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत पर्यटन स्थल अचलताल में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराये गये विभिन्न निर्माण कार्यो की मुख्य प्राविधिक परीक्षक टी0ए0सी0 की जांच में परिलक्षित शासकीय क्षति कुल रू0 1,04,642.34, निर्माण कार्य के सेन्टेज चार्ज रू0 4,58,000.00 कम जमा करने तथा निर्माण कार्य की प्रगति अत्यन्त मन्द पाये जाने व अपने पदीय दायित्वो के प्रति सजग न रहने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-148/2017/1423/92-2-2017-03जांच/15 दि0 11-08-2017 द्वारा श्री बालकृष्ण, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अलीगढ सम्प्रति अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-बिजनौर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु तत्का0 विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- कालान्तर में जांच अधिकारी/तत्का0 विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन का स्थानान्तरण स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पद पर हो जाने के फलस्वरूप शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-218/2017/3336/92-2-17-03जांच/15, दि0 21-12-2017 द्वारा श्री आर0पी0 सिंह, निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को जांच के सम्पादनार्थ पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के पत्र सं0-2863/ग्रा0अ0वि0/निदे0-कैम्प/2017-18 दि0 16-01-2018 द्वारा अपचारी अधिकारी को अपना बचाव उत्तर 15 दिवस में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु अपचारी अधिकारी ने अपने पत्र दि0 21-03-2018 द्वारा अवगत कराया कि प्रखण्ड-अलीगढ से अभिलेख प्राप्त न होने के कारण बचाव उत्तर देना संभव नही हो पा रहा है। उक्त के दृष्टिगत जांच अधिकारी के पत्र सं0-3477/ दिनांक 23-03-2018 द्वारा अपचारी अधिकारी को प्रखण्ड-अलीगढ से अभिलेख प्राप्त कर दिनांक 04-04-2018 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होने के निर्देश दिये गये, परन्तु श्री बालकृष्ण निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होकर अपने पत्र दि0 04-04-2018 द्वारा कुछ अभिलेख न मिलने की बात कहते हुयेअपना प्रतिउत्तर न देते हुये एक और मौका दिये जाने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में जांच अधिकारी के पत्र दि0 05-04-2018 द्वारा अपचारी अधिकारी को दि0 12-04-2018 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सुनवाई का अंतिम अवसर दिया गया। श्री बालकृष्ण द्वारा अपने पत्र सं0-23/ग्रा0अ0 वि0/जांच/अलीगढ-अचलताल/2017-18 दि0 05-04-2018 द्वारा अपना बचाव उत्तर इस आशय से प्रेषित किया गया कि इसके अतिरिक्त उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई में कुछ नही कहना है।

3- जांच अधिकारी/निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-जी-254/ग्रा0 अ0वि0/कैम्प-नि0मु0अ0/जांच-बा0कृ0/2018-19 दि0 02-05-2018 द्वारा नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच आख्या में अपचारी अधिकारी,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

श्री बालकृष्ण के विरूद्ध अधिरोपित 02 आरोपों में से आरोप सं0-1 व 2 (जिसमें आरोप सं0-2(द) में रू0 19036.35 के 1/3 अंश रू0 6435.45 की शासकीय क्षति का आरोप अपचारी अधिकारी पर स्थापित पाया गया है) जांच अधिकारी की जांच आख्या में सिद्ध पाये गये आरोपों के संबंध में शासन के पत्र सं0-1074/ 92-2-18-03जांच/2015 दि0 14-05-2018 से उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अभ्यावेदन मांगा गया, जो अपचारी अधिकारी के पत्र सं0-463/ग्रा0 अ0वि0/ अभ्या0/प्रतिउ0प्रे0/अलीगढ अचलताल/2018-19 दि0 13-06-2018 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। प्रश्नगत प्रकरण में अपचारी अधिकारी के विरूद्ध निर्गत आरोप पत्र, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :-

<u>आरोप संख्या-1</u>

जनपद अलीगढ में पर्यटन स्थल अचलताल के सौन्दर्यीकरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-1306 दि0 06-06-2007 द्वारा रू0 108.93 लाख प्रदान की गयी थी। तत्क्रम में तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-आगरा द्वारा प्राक्कलन संख्या-02/ एसई/2007-08 दिनांक 20-08-2007 द्वारा रू0 99.94 लाख की सिविल कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त कार्य की जांच मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा की गयी, जिसमें कार्य का प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति में आइटम संख्या-04 रिपयेरिंग एण्ड ब्यूटीफिकेशन आफ सेन्ट्रल आइसलैण्ड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रू0 38.07 लाख के विरूद्ध प्राक्कलन में रू0 51.66 लाख का प्राविधान किया गया। अत: श्री बालकृष्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुसार प्राक्कलन की मदों में भिन्नता/विचलन कर त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन गठित करने के उत्तरदायी है।

<u>बचाव उत्तर</u>

इस क्रम में अपचारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा विस्तृत प्राक्कलन की रिपोर्ट को ढंग से संज्ञान में नही लिया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि वास्तविक गणना के अनुसार पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत मात्रा एवं धनराशि में भिन्नता है जिसका विवरण लागत सारांश में दिया गया है, इस प्रकार आयी भिन्नता का समायोजन कुल स्वीकृति धनराशि के अंतर्गत है। आइटम सं0-4 रिपयेरिंग एण्ड ब्यूटीफिकेशन आफ सेन्ट्रल आइसलैण्ड ही प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 38.07 लाख के विरूद्ध प्राक्कलन में रू0 51.66 लाख का प्राविधान किया गया है, इसका मुख्य कारण प्रारम्भिक प्राक्कलन में प्लिन्थ एरिया दर पर सेन्ट्रल आइसलैण्ड की लम्बाई X चौडाई जिसमें 17.50 X 34.50= 603.75 Say 604 Sqm X5564=33,60,656.00 आंकी गयी है जिसमें प्लिन्थ एरिया दर रू0 5564 Sqm मध्य अनावासीय भवन इण्टर कालेज/ हाईस्कूल /कोषागार/कार्यालय/खादय उर्वरक गोदाम/ स्वास्थ्य केन्द्र की दरें रू0 3800 जो कि वर्ष 2000-01 के अनुसार प्रतिवर्ष 10 % की दर से दरें बढाते हुये रू0 5564.00 निर्धारित की गयी है। उसी के आधार पर लागत आइसलैण्ड की अन्य आइटम शामिल करते हुये रू0 38.07 लाख आयी है जबकि उक्त दरें इस प्रकार के भवनों हेतु लागू नहीं होती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

इसमें उच्च अनावासीय भवन सर्किट हाऊस महाविदयालय/ अस्पताल/मेडिकल कालेज की दरें लगानी चाहिये थी उसके अनुसार दरें 6383.00 प्रति वर्ग मी0 आती है।

दूसरी तरफ सेन्ट्रल आइसलैण्ड की लम्बाई X चौडाई प्रारम्भिक प्राक्कलन में ली गयी है वह गलत है। क्योंकि विस्तृत प्राक्कलन में सेन्ट्रल आइसलैण्ड की लम्बाई X चौडाई जिसमें 39.55 X 19.00 =751.45 Say 751 Sqm के अनुसार प्रारम्भिक प्राक्कलन एवं विस्तृत प्राक्कलन के एरिया में 751-604=147Sqm का अंतर आता है। प्रारम्भिक प्राक्कलन में प्लिन्थ एरिया रेट जो लगाया गया है उसी को आधार मान लिया जाये तो लागत 751 X 5564= रू0 41.78 लाख आती है तथा अन्य मदों को शामिल करते हुये कुल लागत 41,78,000.00+ 1188+ 124200+ 8550+ 30,00,000+12000= 46,23,938.00 आती है क्योंकि यह कार्य एक सौन्दर्यीकरण का कार्य था जिसमें कोई भी Column बीच में नही आना था एवं Structural Desigen व Drawing भी बनवानी थी तो दरें प्रारम्भिक प्राक्कलन में उच्च अनावासीय भवन, सर्किट हाऊस, महाविदयालय/अस्पताल/मे् डिकल कालेज की दरें लगानी चाहिए थीं उसके अनुसार सेन्ट्रल आइसलैण्ड की लागत निम्न प्रकार आती है :-

Plinth Area Rate Year 2000-01 4360= 4360.00
---------- d0 ---------- 2001-02 4360x 1.1 = 4796.00
----------do---------- 2002-03 4796 x 1.10= 5275.60
---------do---------- 2003-04 5275.60x1.10= 5803.16
----------do---------- 2004-05 5803.16x1.10= 6383.47
Say 6383.00

सेन्ट्रल आइसलैण्ड की वास्तविक लम्बाई x चौडाई 39.55x19.00=751 sqm X 6383= 47,93,633.00 अन्य मदें जो प्रारम्भिक प्राक्कलन में आइसलैण्ड की लागत में लगायी गयी हैं उनको शामिल करते हुये आइसलैण्ड की लागत 47,93,633+1188+1,24,200+8550+ 3,00,000+ 12000=52,39,571.00 say रू0 52.39 लाख आती है जो विस्तृत प्राक्कलन में लगायी लागत के लगभग बराबर है। विस्तृत प्राक्कलन के मुख्य रिर्पोट में स्पष्ट रूप में लिखा है कि सेन्ट्रल आइसलैण्ड पर प्रस्तावित फेम्ड स्ट्रेक्चर की लागत में मृदा परीक्षण रिपोर्ट एवं डिजाइन के फलस्वरूप वृद्धि हो जाने के कारण ताल में प्रस्तावित 100 मी0 लम्बे स्नान करने वालों की सुरक्षा हेतु प्लेटफार्म का निर्माण तथा सेन्ट्रल आइसलैण्ड पर प्रस्तावित फब्बारें व एम0एस0 रेलिंग मरम्मत का कार्य नहीं लिया गया है। पर अंकित है तत्का0 अधीक्षण अभियंता श्री कमलेश सिंह जी द्वारा विस्तृत प्राक्कलन की प्रत्येक मदों का विधिवत परीक्षण किया गया उन्हीं के निर्देशन में उक्त प्राक्कलन बनाया गया था तभी उनके द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी की गयी। उक्त के दृष्टिगत अपचारी अधिकारी ने आरोप गलत एवं निराधार बताते हुये उक्त आरोप से सहमत न होते हुये अपने आपको आरोप से मुक्त किये जाने का अनुरोध किया है।

<u>जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना</u>

अपचारी अधिकारी को जनपद अलीगढ में पर्यटन स्थल अचलताल के सौन्दर्यीकरण के स्वीकृति के सापेक्ष रिपयेंरिग एण्ड ब्यूटीफिकेशन आफ सेन्ट्रल आइसलैण्ड हेतु रू0 38.07 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सापेक्ष रू0 51.66 लाख का प्राविधान विस्तृत प्राक्कलन में किये जाने हेतु आरोपित किया गया है। उक्त के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा अपने उत्तर में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उल्लेख किया गया है कि प्रारम्भिक प्राक्कलन तत्समय प्रचलित प्लिन्थ एरिया रेट पर बनाया गया था उसमें मध्यम अनावासीय भवन/इण्टर कालेज/हाईस्कूल हेतु अनुमन्य प्लिन्थ एरिया दरों के आधार पर आंकलन किया गया था जबकि उक्त कार्य विशिष्ट प्रकार का होने के कारण उच्च अनावासीय भवन/सर्किट हाउस/महा विद्यालय हेतु अनुमन्य प्लिन्थ एरिया रेट के अनुसार आंकलन किया जाना चाहिए था एवं उक्त आधार पर वर्ष 2000-01 हेतु अनुमन्य प्लिन्थ एरिया रेट रू0 4360 प्रतिवर्ग मी0 के आधार पर वर्ष 2004-05 हेतु आंकलित दर रू0 6383.00 के आधार पर यदि आइसलैण्ड का प्रारम्भिक प्राक्कलन बनाया गया होता तो इसमें परिवर्तन की स्थिति न उत्पन्न होती क्योंकि उक्त दरों के आधार पर प्लिन्थ एरिया दरों के आधार पर आइसलैण्ड का लागत रू0 52.39 लाख आती है। अपचारी अधिकारी का उपरोक्त कथन कि कार्य की विशिष्ट प्रकृति का है जिसके लिये उच्च आवासीय भवन/सर्किट हाउस/महाविदयालय हेतु प्लिनथ एरिया दर ली जानी चाहिए दृष्टिगत रखते हुये उचित प्रतीत होता है।

इस बिन्दु के संबंध में अपचारी अधिकारी, श्री रियाज अहमद सिददीकी, तत्का0 अधिशासी अभियंता द्वारा अपने उत्तर में यह उल्लेख किया गया था कि अलीगढ मुस्लिम विश्वविदयालय अलीगढ से विस्तृत ड्राइंग एवं डिजाइन कराने के बाद विस्तृत प्राक्कलन गठित किये जाने के कारण आइसलैण्ड की लागत में बढोत्तरी हुयी थी, जो स्ट्रक्चर के स्थायीत्व हेतु आवश्यक थी। यद्यपि अपचारी अधिकारी द्वारा अपने बचाव उत्तर में इस तथ्य का उल्लेख नही किया गया है। परन्तु इसी प्रकरण में अपचारी अधिकारी, श्री रियाज अहमद सिदीकी, तत्का0 अधिशासी अभियंता द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया है कि अलीगढ मुस्लिम विश्वविदयालय अलीगढ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आइसलैण्ड की विस्तृत ड्राइंग एवं डिजाइन के अनुसार कार्य कराया जाना उक्त परियोजना के स्थयीत्व के लिये अपरिहार्य था एवं प्राक्कलन की रिपोर्ट एवं साक्ष्यों के आधार पर उक्त तथ्य की पुष्टि भी होती है। इस प्रकार परियोजना के आंतरिक मदों की भिन्नता ड्राइंग एवं क्चरल डिजाइन के कारण हुई है, अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये तथ्यों के आधार पर भी यह बिन्दु मानने योग्य है क्योंकि निर्माण कार्य स्ट्रक्चरल डिजाइन के अनुसार कराया जाना भवन के स्थाईत्व हेतु आवश्यक होता है। अभिलेखों के आधार पर पर्यटन विभाग द्वारा भी इस बिन्दु पर कोई आपत्ति किये जाने का बिन्दु प्रकाश में नहीं आया है। अत: परियोजना के स्थायीत्व हेतु परियोजना के विभिन्न मदों में स्ट्रक्चरल ड्राइंग डिजाइन के आधार पर हुये विचलन हेतु अपचारी अधिकारी दोषी प्रतीत नहीं होते हैं परन्तु उक्त विचलन के संबंध में पर्यटन विभाग की लिखित अनुमति प्राप्त न करने की लापरवाही अपचारी अधिकारी के स्तर पर भी तत्का0 अधिशासी अभियंता के साथ-साथ प्रतीत होती है।

उपरोक्त विवेचना के अनुसार आरोप सं0-1 अपचारी अधिकारी पर आंशिक रूप से स्थापित होता है।

<u>अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन</u>

उक्त के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यटन स्थल अचतताल के सौन्दर्यीकरण के स्वीकृति के सापेक्ष रिपेयरिंग एण्ड ब्यूटीफिकेशन आफ सेन्ट्रल आइसलैण्ड हेतु रू0 38.07 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सापेक्ष रू0 51.66 लाख का प्राविधान विस्तृत प्राक्कलन में किये जाने हेतु आरोपित किया गया है, जबकि अपचारी अधिकारी ने अपने बचाव उत्तर में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्राक्कलन की रिपोर्ट में लिखा है कि वास्तविक गणना के अनुसार पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृति मात्रा एवं धनराशि में भिन्नता है

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जिसका विवरण लागत सारांश में दिया गया है। इस प्रकार आयी भिन्नता का समायोजन कुल स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत है। इसके अतिरिक्त अलीगढ मुस्लिम विश्वविदयालय अलीगढ से विस्तृत ड्राइंग एवं डिजाइन कराने के बाद प्राक्कलन गठित किये जाने के कारण आइसलैण्ड की लागत में बढोत्तरी हुयी थी जो स्ट्रक्चर के स्थायीत्व हेतु आवश्यक थी। जांच अधिकारी की उक्त टिप्पणी से सहमत है।

जहां तक उक्त विचलन के संबंध में पर्यटन विभाग की लिखित अनुमति प्राप्त न करने की लापरवाही मुझ पर लगायी गयी है। श्री बालकृष्ण उक्त से सहमत न होते हुये अपने ऊपर लगाये गये आरोप को नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध बताया है क्योंकि तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल द्वारा स्वीकृति किया है। उन्हीं के स्तर से विचलनकी स्वीकृति पर्यटन विभाग से लेने के उपरांत ही तकनीकी स्वीकृति जारी की जानी चाहिये। अत: जांच अधिकारी द्वारा उन्हें आंशिक रूप से दोषी ठहराया गया है। श्री बालकृष्ण उक्त टिप्पणी से सहमत न होते हुये नैसर्गिक न्याय के आधार पर अपने आपको आरोप से मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

<u>आरोप संख्या-2</u>

जनपद अलीगढ में पर्यटन स्थल अचलताल के सौन्दर्यीकरण कार्य का अनुबंध तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-आगरा द्वारा मै0 नरेश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, रेलवे रोड, हापुड के पक्ष में अनुबंध संख्या-38/एसई/2007-08 दिनांक 21-11-2007 द्वारा रू0 86,00,638.00 का गठित किया गया। अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 21-11-2007 एवं पूर्ण करने की तिथि 20-11-2008 थी। उक्त कार्य की जांच मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्प्रीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा की गयी, जिसमें निम्न अनियमिततायें पायी गयी, जिसके लिये श्री बालकृष्ण, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-अलीगढ निम्नानुसार शासन को वित्तीय हानि पहुँचानेके उत्तरदायी है :-

2(अ) श्री बालकृष्ण द्वारा कराये गये कार्य में टी0ए0सी0 ने अपनी जांच में पाया कि टाई बीम की हनी काबिंग को खत्म नहीं कराया गया, जिससे टाई बीम जांच के समय तक अत्याधिक हनी कांबिग है व सरिया भी दिखायी दे रही है। अत: टाई बीम पर हुआ व्यय रू0 34,205.49 निरर्थक व्यय हुआ है। अत: श्री बालकृष्ण रू0 34,205.49 शासकीय धनराशि का अपव्यय कर शासन को वित्तीय क्षति पहुँचानेव मानक के अनुसार कार्य न करने के दोषी है।

2(ब) श्री बालकृष्ण द्वारा कराये गये कार्य में टी0ए0सी0 ने अपनी जांच में पाया कि कालम तथा मेहराबदार कंक्रीट की फिनिशिंग न करने से रू0 3429.00 की शासकीय क्षति हुई, जिसके लिये श्री बाल कृष्ण दोषी है।

2(स) श्री बालकृष्ण द्वारा कराये गये कार्य में टी0ए0सी0 ने अपनी जांच में पाया कि आइसलैण्ड के मुख्य बीम तथा स्लैब में पीलिंग आफ कंक्रीट तक की स्थिति में छोडने तथा फिनिंशिग न कराने के लिये परिलक्षित शासकीय क्षति मु0 रू0 47691.00 हुई है। अत: श्री बालकृष्ण निम्न कोटि का कार्य कराने के साथ-साथ शासन को रू0 47691.00 की क्षति पहुँचाने के दोषी है।

2(द) श्री बालकृष्ण द्वारा कराये गये कार्य में टी0ए0सी0 ने अपनी जांच में पाया कि सेन्ट्रल आइलैण्ड में पाइप फाउन्डेशन का कार्य हुआ है तथा एन्टीटरमाइट ट्रीटमेन्ट पर किया गया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

व्यय रू0 19,306.35 टी0ए0सी0 जांच में संदिग्ध पाया गया। अत: श्री बालकृष्ण रू0 19,306.35 का संदिग्ध व फर्जी भुगतान कराने के दोषी है।

2(य) श्री बालकृष्ण द्वारा कराये गये कार्य में टी0ए0सी0 ने अपनी जांच में पाया कि फलोरिंग के कार्य में 10 प्रतिशत नई करने का प्राविधान था, जिसमें रू0 1,29,955.00 का भुगतान हुआ है। फलोरिंग नई करने के पश्चात क्रेक स्टोन नहीं दिखायी देने चाहिए परन्तु मौके पर क्रेक स्टोन है। अत: श्री बालकृष्ण फलोरिंग पर हुई भुगतान मु0 रू0 1,29,955.00 की शासन को क्षति पहुँचानेके दोषी है।

अत: श्री बालकृष्ण क्रम सं0-2(अ) से 2(य) तक रू0 34205+3429+4769+19306+129955 = रू0 2,34,586.00 की शासकीय क्षति के साथ-साथ निर्माण कार्य अधोमानक कराने, कार्य में अत्याधिक शिथिलता बरतकर उसे लम्बित रखने, कार्य को हस्तानान्तरण न कराने के लिये दोषी है।

बचाव उत्तर

2(अ) उक्त आरोप में, टी0ए0सी0 जांच आख्या में जो आरोप लगाये गये कि टाई बीम की हनी कांबिग को खत्म नही कराया गया जिससे टाई बीम जांच के समय तक अत्यधिक हनी कांबिग है एवं टाई बीम पर हुआ व्यय रू0 34,205.49 निर्थक व्यय हुआ है।

अधोहस्ताक्षरी पर रू0 34,205.49 शासकीय धनराशि का अपव्यय कर शासन को वित्तीय क्षति पहुंचाने व मानक के अनुसार कार्य न कराने का दोषी ठहराया गया है। इस क्रम में अवगत कराना है कि टी0ए0सी0 द्वारा अपनी जांच आख्या में पेज संख्या-10 के अनुसार यह भी लिखा है कि अवर अभियंता द्वारा मौके पर अवगत कराया गया कि आर0सी0सी0 कार्य की हनी कांबिग तथा फिनिशिंग कार्य हेतु ठेकेदार के बिल से कटौती की गयी है। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार आर0सी0सी0 कार्य में हनी कांबिग होने के कारण रू0 47132.00 की कटौती बिल से की गयी है। कटौती कर कार्य का अंतिमीकरण किया गया है। इस प्रकार टी0ए0सी0 द्वारा मु0 34205.00 का शासकीय धनराशि का अपव्यय दिखाना गलत है क्योंकि कटौती रू0 47,132.00 बिल से की जा चुकी है। टी0ए0सी0 की जांच आख्या में विरोधाभास है। जिससे मैं सहमत नहीं हूँ।कृपया आरोप से मुक्त करने का कष्ट करें।

साथ ही यह भी बताना उचित होगा कि टी0ए0सी0 द्वारा दर्शायी गयी कमियों के संबंध में जांच के उपरान्त निदेशक एवं मुख्य अभियंता महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग परि0-अलीगढ के कार्यालय आदेश सं0-578/ग्रा0अ0वि0/लेखा-अचल ताल/2016-17 दि0 03-09-2016 द्वारा परिमण्डल स्तर पर अचलताल सौन्दर्यीकरण की जांच करने हेतु कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में दो अधिशासी अभियंता, दो सहायक अभियंता, दो अवर अभियंता व एक प्रखण्डीय लेखाधिकारी थे, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कमेटी द्वारा दिनांक 06-03-2017 को कार्यस्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय सेन्ट्रल आईसलैण्ड के काफर स्लैब एवं मुख्य बीम आदि आर0सी0सी0 कार्य में से लकडी के फट्टे आदि निकाल कर संबंधित ठेकेदार द्वारा प्रापर फिनिशिंग करा दी गयी है। वर्तमान में स्लैब एवं मुख्य बीम आदि कार्य में हनी कांबिग परिलक्षित नही हो रही है। आईसलैण्ड के मुख्य बीम तथा स्लैब में फिनिशिंग कार्य संतोषजनक बताया है। वर्तमान में कार्यपूर्ण रूप से ठीक हो गया है तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विभाग द्वारा रू0 47,132.00 की कटौती बिल से की जा चुकी है। उपरोक्त दोनो स्थितियों को ध्यानमें रखते हुये अधोहस्ताक्षरी को उक्त आरोप से मुक्त करने की कृपा करें।

2(ब) टी0ए0सी0 की जांच में पाया गया कि कॉलम तथा मेहराबदार कंक्रीट की फिनिशिंग न करने से रू0 3,439.00 की शासकीय क्षति हुई जिसके लिये उन्हें दोषी ठहराया गया है। इस कम में अवगत कराना है कि जैसा कि मैं बचाव उत्तर 2(अ) में अवगत करा चुका हूं कि ठेकेदार के बिल से 47,132.00 की कटौती बिल के अंतिमीकरण करते समय आर0सी0सी0 कार्य की हनी कांबिग तथा फिनिशिंग हेतु कर दी गयी है जिसको टी0ए0सी0 ने अपनी जांच आख्या में पुष्टि की है एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-अलीगढ द्वारा जांच हेतु गठित कमेटी द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में कार्य की फिनिशिंग संतोषजनक बतायी गयी है, उक्त आरोप स्वीकार योग्य नही है तथा उक्त से मैं सहमत नही हूं। कृपया आरोप से मुक्त करने का कष्ट करें।

2(स) उक्त आरोप में टी0ए0सी0 की जांच में पाया गया कि आइसलैण्ड के मुख्य बीम तथा स्लैब में पीलिंग आफ कंक्रीट तक की स्थिति में छोडने तथा फिनिशिंग न कराने के लिये परिलक्षित शासकीय क्षति मु0 रू0 47,691.00 हुई है। अधोहस्ताक्षरी निम्न कोटि का कार्य कराने के साथ-साथ शासन को रू0 47,691.00 की क्षति पहुंचाने के दोषी है। इस क्रम में अवगत कराना है कि जैसा कि मैं अपने बचाव उत्तर 2(अ) में अवगत करा चुका हूं कि धनराशि रू0 47,132.00 की कटौती ठेकेदार के बिल से आर0सी0सी0 कार्य में हनी काम्बिंग तथा फिनिशिंग प्रापर न करने के कारण की जा चुकी है जिसको टी0ए0सी0 द्वारा भी स्वीकारा गया है एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-अलीगढ द्वारा गिठत कमेटी ने भी दि0 06-03-2017 को किये गये निरीक्षण में सेंट्रल आइसलैण्ड के मुख्य बीम तथा स्लैब में हनी कांबिग परिलक्षित नही है तथा कार्य को संतोष जनक बताया गया है। उक्त आरोप न्याय संगत नहीं है एवं उक्त आरोप से मैं सहमत नहीं हूं। कृपया उक्त आरोप से मुक्त करने का कष्ट करें।

2(द) उक्त आरोप में टी0ए0सी0 ने अपनी जांच में पाया कि सेन्ट्रल आइसलैण्ड में पाइल फाउण्डेशन का कार्य हुआ है तथा एन्टीटरमाइट ट्रीटमेन्ट किया जाना संभव नहीं है। अत: एन्टीटरमाइट ट्रीटमेन्ट पर किया गया व्यय रू0 19.306.35 टी0ए0सी0 जांच में सदिग्ध पाया गया। अधोहस्ताक्षरी पर रू0 19306.35 का संदिग्ध व फर्जी भुगतान करने के दोषी है। उक्त आरोप नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है क्योंकि टी0ए0सी0 द्वारा लगाया गया आरोप मनगढन्त एवं असत्य है क्योंकि पाइल फाउण्डेशन डालकर पाइप केप व प्लिंथ बीम भूतल पर डाला जाना था। तत्पश्चात आर0सी0सी0 कालम खडे किये जाने थे। टी0ए0सी0 द्वारा अपनी जांच में यह स्वीकारा है कि पाइल केप प्लिन्थ बीम जोकि भूतल पर है उनकी सुरक्षा हेतु एन्टीटरमाइट ट्रीटमेन्ट का कार्य उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में कराया गया तथा उच्च अधिकारियों द्वारा ही उक्त कार्य का एक्स्ट्रा आइटम स्वीकृत कर भुगतान किया गया। टी0ए0सी0 द्वारा लगाया गया आरोप द्वेष भावना से ग्रसित है जिससे मैं सहमत नहीं हूं। कृपया उक्त आरोप से मुक्त करने का कष्ट करें।

2(य) उक्त आरोप में टी0ए0सी0 ने अपनी जांच में पाया कि प्लोरिंग के कार्य में 10 प्रतिशत नई करने का प्राविधान था जिसमें रू0 1,29,955.00 का भुगतान हुआ है। फलोरिंग नयी करने के पश्चात क्रेक स्टोन नही दिखायी देने चाहिए, परन्तु मौके पर क्रेक स्टोन हैं। अत: आप फलोरिंग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पर हुये भुगतान मु0 रू0 1,29,955.00 की शासकीय क्षति पहुंचाने के दोषी है। अवगत कराना है कि सेन्ट्रल आइस लैंण्ड व एप्रोच रास्ते पर विस्तृत प्राक्कलन में **17.50x34.50 = 603.75m2x10%=60.37** वर्ग मी0 + एप्रोच रास्ते **47x3.20=150.40 x 10%= 15.04** वर्ग मी0 कुल 75.41 वर्ग मी0 में सफेद अंडगा स्टोन फलोरिंग के बदलने का प्राविधान किया गया था। कार्य स्थल पर रिकार्ड मेजरमेन्ट अवर अभियंता द्वारा केवल उन्हीं का किया गया था जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त था, जिससे आवागमन में परेशानी हो रही थी। मामूली रूप से क्रेक स्टोन उसमें शामिल नहीं थे। माप पुस्तिका सं0-421 एल पेज 150 से 151 प्रखण्ड अलीगढ द्वारा उपलबध न कराये जाने के कारण साक्ष्य के रूप में संलग्न नहीं किये जा रहे हैं। टी0ए0सी0 द्वारा उक्त कार्य दिनांक 10.07.2010 में अपनी रिपोर्ट में पूर्ण होना दर्शाया गया है तथा टी0ए0सी0 द्वारा जांच दिनांक 11.03.2015 यानी लगभग 4 ½ साल बाद किया गया। अवगत कराना है कि उक्त स्थल पर रामलीला महोत्सव के दौरान श्री राम जी द्वारा सरयू नदी पार की लीला का मंचन इसी अचलताल पर प्रत्येक वर्ष होता है जिसमें सजावट हेतु टेन्ट व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जाती है, जिसमें फर्श का इस्तेमाल होता है यथा संभव क्रेक उसी के कारण आ गये होगे। कार्य पूर्ण करते समय समस्त कार्य संतोषजनक था। उसी के आधार पर उच्चाधिकारियों द्वारा भुगतान की कार्यवाही की गयी है। टी0ए0सी0 की जांच आख्या पूर्ण रूप से असत्य है, जिससे मैं सहमत नही हूं। अत: उक्त आरोप से मुझे मुक्त करने की कृपा करें।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि कार्य 21 नवम्बर, 2007 से प्रारम्भ करते हुये माह सितम्बर 2011 में पूर्ण करा दिया गया था। तदोपरान्त अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, अलीगढ के पत्राक-114 दि0 09.09.2011 द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम, अलीगढ को हस्तानान्तरण प्रपत्र उपलब्ध करा दिये गये थे, जिसकी सूचना पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक, पर्यटन आगरा को पत्रांक-42 दिनांक 03.12.2011 को दे दी गयी थी, जिसको गठित कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में स्वीकारा है। अत: कार्य को हस्तानान्तरण कराने में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्ण रूचि ली गयी थी। अत: उक्त आरोप से मुक्त करने का कष्ट करें।

<u>जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवचेना नं0-2</u>

आरोप संख्या-2 में अपचारी अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य में इंगित त्रुटियों/टी0ए0सी0 द्वारा आंकलित क्षति के संबंध में बिन्दुवार उत्तर दिया गया है। अपचारी अधिकारी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार उत्तर एवं साक्ष्यों का परीक्षण करते हुये बिन्दुवार आख्या निम्नवत है :-

<u>(2) अ एवं ब</u> :-

टी0ए0सी0 जांच में टाई बीम की हनी कांबिग तथा मेहराबदार कंक्रीट की फिनिशिंग न कराने के लिये रू0 34205.49 **+ 3439.00 = रू0 37,644.49** की शासकीय क्षति हेतु आरोपित किया गया है। उक्त के संबंध में अपचारी अधिकारी ने अपने बचाव उत्तर में कहा है कि उनके द्वारा बिल भुगतान करने के पूर्व रू0 47,132.00 की कटौती हनी कांबिग सी0सी0 कार्य की फिनिशिंग की कमी के लिये किया गया है। उक्त कटौती की पुष्टि टी0ए0सी0 की आख्या से भी होती है। इस प्रकार अपचारी अधिकारी का उक्त कथन की रू0 47,132.00 की कटौती ठेकेदार के बिल से कर लिये जाने के कारण शासकीय क्षति हेतु अपचारी अधिकारी जिम्मेदार नहीं होता है, मानने योग्य है परन्तु उक्त कार्य को तत्समय ठीक न करने के लिये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अपचारी अधिकारी के स्तर पर लापरवाही प्रतीत होती है। यदयपि शासकीय क्षति का उक्त आरोप अपचारी अधिकारी पर स्थापित नही होता है।

(2) स

टी0ए0सी0 की जांच आख्या के आधार पर आइसलैण्ड के मुख्य बीम तथा स्लैब में पीलिंग आफ कंक्रीट की स्थिति में छोडने तथा फिनिशिंग न कराने के लिये परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 47,691.00 के लिये आरोपित किया गया है। उक्त के संबंध में अपचारी अधिकारी ने टाई बीम में हनी कांबिग एवं सी0सी0 कार्य की फिनिशिंग के लिये की गयी कटौती रू0 47,132.00 का उल्लेख करते हुये टी0ए0सी0 द्वारा आंकलित क्षति का प्रतिवाद किया गया है तथा यह भी उल्लेख किया गया है कि अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-अलीगढ के पत्रांक-578 दि0 03.09.2016 द्वारा गठित कमेटी की आख्या का भी उल्लेख किया गया है जिसमें कमेटी की आख्या दिनांक 06.03.2017 में किये गये निरीक्षण में आइसलैण्ड के मुख्य बीम तथा स्लैब में हनी कांबिग परिलक्षित नही है अंकित है तथा कार्य को संतोषजनक बताया गया एवं यह भी उल्लेख किया गया है कि त्रुटियों को ठीक कराते हुये संबंधित ठेकेदार द्वारा प्रापर फिनिशिंग करा दी गयी है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर शासकीय क्षति की स्थिति तो नही उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर शासकीय क्षति की स्थिति तो नही उत्पन्न हो रही है परन्तु अपचारी अधिकारी के स्तर पर निर्माण कार्य में लापरवाही प्रतीत होती है क्योंकि उक्त त्रुटियों को निर्माण कार्य सम्पादित कराये जाने के समय ही ठीक करा दिया जाना चाहिए था। यद्यपि टी0ए0सी0 द्वारा उक्त त्रुटि हेतु आंकलित शासकीय क्षति रू0 47,691.00 के सापेक्ष कोई कटौती अपचारी अधिकारी द्वारा बिल भुगतान के समय नहीं की गयी है परन्तु संबंधित ठेकेदार द्वारा उक्त कमियां ठीक करा दिये जाने की पुष्टि कमेटी की आख्या दिनांक 06.03.2017 द्वारा कर दिये जाने से शासकीय क्षति की स्थिति उत्पन्न नही हो रही है।

(2) द:-

उक्त आरोप में टी0ए0सी0 द्वारा सेन्ट्रल आइसलैण्ड में पाइल फाउण्डेशनके कार्य में एन्टीटर माइट ट्रीटमेंट पर किया गया व्यय निर्माण कार्य की परिस्थितियों के कारण स्वीकार योग्य न पाये जाने के कारण रू0 19, 306.35 का शासकीय क्षति आंकलित किया गया है। इस संदर्भ में अपचारी अधिकारी द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि पाइल फाउण्डेशन के बाद पाइल केप व प्लिन्थ बीम भूतल पर ही डाला जाना था एवं एन्टीटरमाइट ट्रीटमेंट का कार्य उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में कराया गया था एवं उक्त कार्य पर किये गये व्यय को उचित ठहराया गया है परन्तु इस संबंध में टी0ए0सी0 का यह तर्क कि जिस क्षेत्र में अधिकतर समय पानी का भराव रहता है तथा आर0सी0सी0 का कार्य है वहां पर एन्टीटरमाइट ट्रीटमेंट कार्य किया जाना उचित नही कहा जा सकता है, उचित प्रतीत होता है एवं उक्त आधारपर रू0 19,306.35 का 1/3 अंश भाग रू0 6435.45 की शासकीय क्षति का आरोप अपचारी अधिकारी पर स्थापित होता है।

(2) य :-

टी0ए0सी0 द्वारा फर्शके कार्य में त्रुटि हेतु रू0 129955.00 की शासकीय क्षति हेतु अपचारी अधिकारी को भी अन्यों के साथ-साथ उत्तरदायी पाया गया है। उक्त के संबंध में अपचारी अधिकारी ने अपने उत्तर में उल्लेख किया गया है कि प्राक्कलन में 75.41 वर्ग मी0 में सफेद अंडगा स्टोन फलोरिंग बदलने का कार्य प्रस्तावित किया गया था जिसमें जो स्टोन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त थे उसी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

का रिकार्ड मेजरमेंट करते हुये उसको बदला गया था मामूली रूप से क्रेक स्टोन को बदलने का प्राविधान प्राकलन में ही नहीं किया गया था तथा यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त स्थल पर रामलीला मंचन हेतु सजावट इत्यादि की व्यवस्था नगर निगम द्वारा किये जाने के कारण कुछ पत्थरों में 4 वर्ष के अंतराल के बाद क्रेक हो जाना स्वाभाविक है तथा अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-अलीगढ द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट दि0 06.03.2017 में उल्लेख किया गया है कि 6 वर्ष के अंतराल के बाद फर्श के पत्थरों में नये या पुराने क्रेक पत्थर की पहचान करना संभव नही है एवं उल्लेख किया गया है कि फर्श के कार्य में इंगित की गयी छोटी मोटी कमियों को अधिकांशतया ठीक करा दिया गया है। अपचारी अधिकारी के उत्तर तथा कमेटी की आख्या के दृष्टिगत टी0ए0सी0 द्वारा आंकलित फलोरिंग केकार्य के पूर्ण भुगतान रू0 1, 29,955.00 का शासकीय क्षति मानना उचित प्रतीत नही होता है। परन्तु अपचारी अधिकारी के स्तर पर निर्माण के समय लापरवाही की स्थिति प्रतीत होती है।

उपरोक्त विवेचना के अनुसार आरोप नं0-2 अपचारी अधिकारी पर आंशिक रूप से स्थापित होता है।

<u>अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन</u>

अपचारी अधिकारी द्वारा आरोप संख्या-2 के संबंध में उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन में अवगत कराया गया है कि :-

2-अ, ब एवं स जांच आख्या/विवेचना से सहमत है।

2(द) के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त आरोप के संबंध में टी0ए0सी0 ने अपनी जांच आख्या में पाया कि सेन्ट्रल आइसलैण्ड में पाइल फाउण्डेशन का कार्य हुआ तथा एन्टीटरमाइट ट्रीटमेन्ट किया जाना संभव नही है। अत: एन्टीटरमाइट ट्रीटमेंट पर किया गया व्यय रू0 19306.35 टी0ए0सी0 जांच में संदिग्ध पाया गया। बचाव उत्तर में अपचारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि पाइल फाउण्डेशन डालकर पाइल केप व प्लिन्थ बीम भूतल पर डाला गया है। तत्पश्चात आर0सी0सी0 कॉलम खडे किये गये है। टी0ए0सी0 द्वारा प्लिन्थ बीम जो कि भूतल पर है। उनकी सुरक्षा हेतु एन्टीटरमाइट ट्रीटमेंट का कार्य उच्चाधिकारियों की सहमति/निर्देशों पर कराया गया था उच्चाधिकारियों द्वारा ही उक्त कार्य स्वीकृत किया गया है। टी0ए0सी0 द्वारा लगाये गये आरोप से सहमत न होते हुये अपचारी अधिकारी ने अपने आपको उक्त आरोप से मुक्त किये जाने का अनुरोध किया है।

<u>2(य) :-</u>

उक्त के संबंध में अपचारी अधिकारी का अभिकथन है कि आरोप में टी0ए0सी0 ने अपनी जॉच में पाया कि फलोरिंग के कार्य में 10 प्रतिशत नई करने का प्राविधान है जिसमें रू0 129950.00 का भुगतान हुआ है। फलोरिंग नयी करने के पश्चात क्रेक स्टोन नही दिखायी देने चाहिए परन्तु मौके पर क्रेक स्टोन है। अत: आप फलोरिंग पर हुये भुगतान मु0 रू0 129955.00 की शासकीय क्षति पहुंचाने के दोषी है। बचाव उत्तर में अपचारी अधिकारी ने जो विवरण उपलब्ध कराया है उससे जांच अधिकारी भी पूर्ण रूप से सहमत है एवं विवेचना में यह लिखा जाना है कि निर्माण के समय लापरवाही की स्थिति प्रतीत होती है, से सहमत नही है।

श्री बालकृष्ण का यह भी अभिकथन है कि उन्होने अपने बचाव उत्तर में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि टी0ए0सी0 द्वारा 4 ½ वर्ष के बाद जांच की गयी है तथा उक्त स्थल पर रामलीला

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

महोत्सव के दौरान व रामजी द्वारा सरयू नदी पर लीला का मंचन इसी अचलताल पर प्रत्येक वर्ष होता है जिसमें सजावट हेतु टैन्ट व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जाती है जिसमें फर्श का इस्तेमाल होता है क्रेक उसी के कारण आ गये है। कार्य पूर्ण करते समय फर्श पूर्ण रूप से ठीक था निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नही की गयी, कार्य संतोषजनक स्थिति में था, समय-समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता रहा है। अत: जांच अधिकारी की विवेचना से सहमत न होते हुये अपचारी अधिकारी अपने आपको नैसर्गिक न्याय के आधार पर उक्त आरोप से मुक्त किये जाने का अनुरोध किया है।

4- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी के बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं जांच आख्या में स्थापित पाये गये आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह तथ्य प्रकट हुये है कि अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित दोनो आरोप आंशिक रूप से स्थापित पाये गये हैं, जिसमें आरोप संख्या-1 के संबंध में जांच अधिकारी की जांच आख्या में अपचारी अधिकारी को प्रश्नगत निर्माण कार्य के स्थायित्व हेतु परियोजना की विभिन्न मदों में स्ट्रक्चरल ड्राइंग डिजाइन के आधार पर विचलन हेतु अपचारी अधिकारी को दोषी नही बताया गया है परन्तु उक्त विचलन के संबंध में पर्यटन विभाग की लिखित रूप से अनुमति प्राप्त न करने के लिये अपचारी अधिकारी को आंशिक रूप से दोषी बताया गया है।

उक्त के संबंध में अपचारी अधिकारी का अभिकथन है कि तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, द्वारा स्वीकृत है। अत: उन्ही के स्तर पर विचलन की स्वीकृति पर्यटन विभाग से लेने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति जारी किये जानी चाहिये थी। इस प्रकार अपचारी अधिकारी ने अपने ऊपर स्थापित पाये गये आंशिक रूप से आरोप से मुक्त किये जाने का अनुरोध किया है।

इसी प्रकार आरोप सं0-2 जिसमें अपचारी अधिकारी को रू0 6,435.45 की शासकीय क्षति एवं निर्माण कार्य के समय फलोरिंग के कार्य में लापरवाही के लिये दोषी पाया गया। इस संबंध में शासकीय क्षति के संबंध में अपचारी अधिकारी का अभिकथन है कि पाइल फाउण्डेशन डालकर पाइप क्रेप व प्लिन्थ बीम भूतल पर डाला गया है। तत्पश्चात आर0सी0सी0 कालम खडे किये गये है। उक्त के अतिरिक्त अपचारी अधिकारी का यह भी कथन है कि प्रश्नगत कार्य उच्चाधिकारियों की सहमति/निर्देशों पर कराया गया था। अत: अपचारी अधिकारी ने अपने ऊपर आंशिक रूप से स्थापित आरोप से सहमत न होते हुये आरोप से मुक्त किये जाने का अनुरोध किया है।

यद्यपि अपचारी अधिकारी ने अपने ऊपर स्थापित आरोपो के संबंध में अपने अभिकथन में प्रश्नगत निर्माण कार्य उच्चाधिकारियों के निर्देशों/सहमति के आधार पर कराया जाना बताया है परन्तु उक्त निर्माण कार्य में लापरवाही हुई है जिसके फलस्वरूप उन्हें 0 6,435.45 (रू0 छ: हजार चार सौ पैतीस रूपये पैतालिस पैसे) की शासकीय क्षति का दोषी पाये जाने पर श्री बालकृष्ण, तत्का0 सहायक अभियंता, प्रखण्ड-अलीगढ सम्प्रति अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-बिजनौर के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.12.2017 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को रू0 6,435.45 की शासकीय क्षति की वसूली सहित परिनिन्दा का दण्ड दिये जाने के विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर शासन के पत्र दिनांक 14.08.2018 द्वारा मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज से सहमति मांगी गयी जो उनके पत्र दिनांक 19.01.2019 द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी, जिसमें मा0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लोक सेवा आयोग ने शासन द्वारा विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुये शासन द्वारा विनिश्चित अनन्तिम दण्ड को यथावत रखते हुये निम्नवत सहमति प्रदान की गयी :-

'' श्री बालकृष्ण, तत्का0 सहायक अभियंता, सम्प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बिजनौर के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में रू0 6,435.45 की शासकीय क्षति की वसूली सहित परिनिन्दा का दण्ड दिया जाय। ''

अत: प्रकरण में श्री बालकृष्ण, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अलीगढ सम्प्रति अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-बिजनौर के विरूद्ध निर्गत आरोप पत्र, जांचअधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन के परीक्षणोपरान्त उसके विरूद्ध विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति दिनांक 19-01-2019 के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11-08-2017 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को उनके विरूद्व परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 6435.45 की वसूली कर निम्नवत परिनिन्दा का दण्ड देते हुये एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

''ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अलीगढ के कार्यकाल में कतिपय निर्माण कार्यो में की गयी वित्तीय अनियमितता के फलस्वरूप परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 6,435.45 की वसूली करते हुये प्रखण्ड-अलीगढ में कराये गये अधोमानक कार्य का भुगतान किये जाने, अपने दायित्वों के प्रति सजग न रहने आदि अनियमितताओं के लिये अपचारी अधिकारी, श्री बालकृष्ण, तत्का0 सहायक अभियंता, सम्प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-बिजनौर को परिनिन्दित किया जाता है।''

श्री राज्यपाल के आदेश से,

(मो0 इफ्तेखारूददीन)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-49/2019/259(1)/92-2-2019 तददिनांक।</u>

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- उप सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज को उनके पत्र सं0-56/05/एडीसी/एस-12/18-19 दि0 19.01.2019 के क्रम में।
3- श्री बालकृष्ण, तत्का0 सहा0अभि0, सम्प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बिजनौर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखन
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।